प्रकरण संख्या 75/2021 प्रतापसिंह व अन्य बनाम ललितसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त आधिपत्य एवं स्वामित्व की आराजियात राजस्व ग्राम बेमला में स्थित हैं, जिसका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' अनुसार है। परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 408 रकबा 2.9250 हैक्टर में वादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' की आराजी नंबर 750, 1250 कुल किता 2 रकबा 0.6350 हैक्टर में भी वादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित है एवं पक्षकारान इसी अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात वादीगण संख्या 1 से 3 के मौरूस राजेन्द्र सिंह उर्फ नरेन्द्र सिंह एवं वादी संख्या 4 समरथ सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र सिंह उर्फ विजेन्द्र सिंह के द्वारा पारिवारिक संयुक्त आय से क्रय की गयी। खातेदार राजेन्द्र सिंह उर्फ नरेन्द्र सिंह की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस वादी संख्या 1 से 3 हैं, लेकिन वादी संख्या 1 से 3 के नाम अभी आराजियात विरासत से दर्ज नहीं हुई हैं तथा वादी संख्या 4 समरथ सिंह उक्त आराजियात पर अपने 1/3 हिस्से अनुसार काश्त करता चला आ रहा है, किन्तु परिशिष्ट ''ख'' की आराजीयात में वादी संख्या 1 से 3 व समरथ सिंह का नाम दर्ज नहीं हुआ है, जबकि उसका 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में वादीगण खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी हैं तथा परिशिष्ट ''क'' कें खातेदार गजेन्द्र सिंह पिता उंकार सिंह की अविवाहित अवस्था में मृत्यु हो जाने से उसके नजदीकी वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 हैं। इसके अलावा गजेन्द्र सिंह का अन्य कोई वारिस नहीं है। दिनांक 30.06.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 ने सीमा विवाद को लेकर झगड़ा किया, जिससे वाद कारण जारी है। अतः वाद पत्र की परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' वर्णित आराजियात को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:08 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाकर 1/3 हिस्से का खातेदार वादी संख्या 1 से 3 को, 1/3 हिस्से का खातेदार वादी संख्या 4 को तथा 1/3 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.09.2020 से सहमति के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04.09.2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भीमराज पटेल उपस्थित हुए। जबकि रेस्पोन्डेन्ट 5 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर गयी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 व श्रीमती राजकुंवर बेवा उंकारसिंह ने मिलकर अपीलान्टगण व अन्य के विरूद्ध मौजा बेमला की आराजियात कुल किता 20 रकबा 9.4900 हैक्टर भूमि के संबंध में बंटवारे व निषेधाज्ञा का वाद उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसके वाद संख्या 204/15 होकर जिसमें अपीलान्टगण ने जवाब प्रस्तुत कर खाता संख्या 83 की आराजी नंबर 750 व 1250 किता 2 रकबा 0.6350 हैक्टर पर अपीलान्ट का कब्जा होना बताया तथा कब्जे अनुसार बंटवारे कराये जाने का निवेदन किया। वादीगण ने जानबूझकर खाता संख्या 117, 83, 45, 115, 113, 112 की आराजियात को छोड़कर केवल खाता संख्या 116 का ही बंटवाड़े का वाद पेश किया है व इसके अन्य खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 [illegible]ती राजकुंवर बेवा उंकारसिंह ने मिल[illegible]योजन [illegible] हुए मुकदमा नंबर 204/15 में जवाब[illegible] के बाद अपीलान्टगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:08 IST
Reason: Self Attested

बिना पक्षकारान बनाये अधिनस्थ न्यायालय से आराजी नंबर 408, 750 व 1250 बाबत् अपीलाधीन डिक्री प्राप्त कर ली है, जिससे अपीलान्टगण के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पूर्व में प्रस्तुत वाद में हालांकि विचाराधीन अपील के आराजी नंबर 408, 750 व 1250 सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु उक्त वाद रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 व श्रीमती राजकुंवर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमे अपीलान्टगण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के रूप में संस्थित हैं तथा उनके द्वारा जो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, उसमें विवादित आराजी नंबर 750 व 1250 किता 2 रकबा 0.6350, जिसका वर्णन अपीलाधीन वाद के परिशिष्ट ''ख'' में किया गया है, उस पर अपना कब्जा बताया है। जबकि अपीलाधीन वाद में अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। दिनांक 05.08.2021 को पटवारी हल्का से उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। चुंकि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें पूर्व में हो इस बाबत् कोई साक्ष्य नहीं होने से न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:08 IST
Reason: SelfAttested

गुणावगुण पर विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण पक्षकार नहीं थे, लेकिन

आराजी नंबर 750 व 1250 किता 2 रकबा 0.6350 हैक्टर पर उंकारसिंह जी के इकरारनामा दिनांक 03.06.1982 से उनका कब्जा चला आ रहा है, जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि विवादित आराजी नंबर 750 व 1250 किता 2 रकबा 0.6350 हैक्टर के न तो अपीलान्टगण खातेदार हैं एवं न ही उनका किसी प्रकार का कोई कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार पूर्व वाद संख्या 204/2015 में उनके द्वारा जो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है उसमें विवादित आराजी नंबर 750 व 1250 किता 2 रकबा 0.6350 हैक्टर पर उन्होंने अपना कब्जा बताया है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन वाद संख्या 63/2020 में अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। न्यायहित में हम उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के रूप में संस्थित कर तथा उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.12.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:08 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
[illegible] अधिकारी
[illegible] राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर